प्रिय मित्रों,

कॉरपोरेट और बड़े पूंजीपतियों को समृद्ध करने के उद्देश्य से एनडीए-3 की सरकार की नीतियों के तहत भारत के कामकाजी लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। जबकि खेती की लागत और मुद्रास्फीति हर साल 12-15% से अधिक बढ़ रही है। सरकार एमएसपी में केवल 2 से 7% की बढ़ोतरी कर रही है। इसने राष्ट्रीय धान एमएसपी को केवल 5.35% बढ़ाकर रु. 2024-25 में 2300 प्रति क्विंटल, बिना सी2+50% फॉर्मूला लागू किए और खरीद की कोई गारंटी नहीं। इससे पहले कम से कम पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की खरीद होती थी। लेकिन केंद्र सरकार,पिछले साल खरीदी गई फसल को उठाने में विफल रही, इस साल मंडियों में जगह की कमी के कारण धान की खरीद रुक गई। किसान अपनी अल्प एमएसपी, एपीएमसी मंडियां, एफसीआई और पीडीएस आपूर्ति को बचाने के लिए भी फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और सहायता देने के लिए मोदी सरकार, जैसा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई है, डिजिटल कृषि मिशन-डीएएम के माध्यम से भूमि और फसलों का डिजिटलीकरण लागू किया जा रहा है।

ट्रेड यूनियन बनाने के मूल अधिकार की रक्षा के लिए भी ट्रेड यूनियन संघर्ष पथ पर हैं; पुरानी पेंशन योजना के पुनरुद्धार, सेवानिवृत्ति लाभ, कार्यस्थल सुरक्षा, शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी मशीनरी के प्रभावी कामकाज आदि के लिए किसानों को दरिद्रता और कृषि संकट से मुक्ति दिलाने और श्रमिकों के संघर्ष को जीतने के लिए श्रमिक-किसान एकता का निर्माण और मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट दिग्गजों की बाजार आपूर्ति के लिए सहायक, अनुबंध खेती को बढ़ावा देने और अनाज उगाने से लेकर वाणिज्यिक फसलों तक फसल पैटर्न को बदलने की योजनाएं चल रही हैं। जीएसटी - 2017 में लगाया गया, और 2019 में केंद्रीय सहकारी मंत्रालय का गठन संविधान के संघीय चरित्र पर हमला था और राज्य सरकारों के कराधान अधिकारों में कटौती की गई थी। बजट 2024-25 में घोषित राष्ट्रीय सहयोग नीति का उद्देश्य फसल कटाई के बाद के कार्यों के कॉर्पोरेट अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करना और सहकारी क्षेत्र के ऋण को कॉर्पोरेट्स की ओर मोड़ना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में, एफसीआई भंडारण, सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन और एपीएमसी मार्केट यार्ड सभी को अडानी और अंबानी जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों को किराए पर दिया जा रहा है।

खेती में निरंतर घाटा अधिक ऋण और कृषि से अधिक बेदखली का कारण बनता है। गंभीर कृषि संकट लाखों की संख्या में ग्रामीण युवाओं को शहरों की ओर पलायन करने और श्रमिकों की आरक्षित सेना को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। इसका औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के श्रमिकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। मोदी सरकार द्वारा थोपे जा रहे 4 श्रम कोड - वैधानिक न्यूनतम वेतन, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आठ घंटे के कार्य दिवस और यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर किसी भी गारंटी को रद्द करता है। सार्वजनिक खजाने से पैसा विभिन्न मदों- कैपेक्स, उत्पादन से जुड़े रोजगार आदि के तहत प्रोत्साहन के रूप में कॉरपोरेट्स को दिया जा रहा है। अलग-अलग नामों पर ठेकेदारी प्रथा और कोई भर्ती नीति मौजूदा श्रमिकों और नौकरी चाहने वाले युवाओं को आभासी गुलामी की ओर धकेलती है। ट्रेड यूनियन बनाने के मूल अधिकार की रक्षा के लिए भी ट्रेड यूनियन संघर्ष पथ पर हैं; पुरानी पेंशन योजना के पुनरुद्धार, सेवानिवृत्ति लाभ, कार्यस्थल सुरक्षा, शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी मशीनरी के प्रभावी कामकाज आदि के लिए किसानों को दरिद्रता और कृषि संकट से मुक्ति दिलाने और श्रमिकों के संघर्ष को जीतने के लिए श्रमिक-किसान एकता का निर्माण और मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकार लोगों के भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी अधिकार को छीन रही है। सरकार खाद्य सब्सिडी में 20 रुपये की कटौती की गई है. 60,470 करोड़. (2 72 802 करोड़ रुपये से 2, 12, 332 करोड़ रुपये) और उर्वरक सब्सिडी रुपये तक 62,445 करोड़. (पिछले लगातार तीन वर्षों में 2.51,339 करोड़ रुपये से 1,88,894 करोड़ रुपये तक)। डब्ल्यूटीओ के निर्देशों के अनुसार कई राज्यों में नकद हस्तांतरण योजना के माध्यम से पीडीएस को खत्म कर दिया गया है। नकद हस्तांतरण बहुत कम है; बाजार में खाना बहुत महंगा है. श्रमिकों और गरीब लोगों की भोजन की कमी बढ़ रही है। 5 वर्ष से कम उम्र के 36% बच्चे कम वजन के हैं, 21% बच्चे कमज़ोरी के शिकार हैं, जबकि 38% बच्चे भोजन की कमी के कारण बौनेपन के शिकार हैं। 57% महिलाएं और 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है, हजारों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और उच्च शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। यहां तक कि विभिन्न राज्यों में जिला अस्पतालों का भी निजीकरण किया जा रहा है और स्वास्थ्य सेवा को बीमा आधारित प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां केवल निजी बीमा कंपनियां और निजी अस्पताल ही समृद्ध हैं। रक्षा सहित सभी रणनीतिक उत्पादन और बिजली और परिवहन सहित बुनियादी और महत्वपूर्ण सेवाओं का निजीकरण देश की आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से खतरे में डाल देगा और सरकार की आय को प्रभावित कर रहा है।

औद्योगीकरण के नाम पर कृषि और वन भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में यह सरकार के साथ अति अमीरों के लिए मनोरंजन सुविधाओं, वाणिज्यिक उपयोग, पर्यटन, रियल एस्टेट आदि के लिए है। LARR Act.2013 और वन अधिकार अधिनियम-FRA और को लागू करने से बेशर्मी से इनकार कर रहे हैंजनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक बेदखल करना। कॉर्पोरेटों को स्मार्ट मीटर, मोबाइल नेटवर्क के उच्च टैरिफ, बढ़ते टोल शुल्क, रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की ऊंची कीमतों आदि के माध्यम से बिजली के लिए लोगों से उच्च राजस्व निकालने की अनुमति दी गई है।

कॉर्पोरेट करों को और कम किया जा रहा है। इसके विपरीत, कामकाजी लोग - किसान, औद्योगिक और कृषि श्रमिक - और मध्यम वर्ग मूल्य वृद्धि के कारण कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं, और बुनियादी सेवाओं पर खर्च में वृद्धि के कारण सभी वर्गों में चिंताजनक रूप से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। जीएसटी को गरीबों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम तक भी बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण गरीबों और भूमिहीनों को जीवित रहने के लिए उच्च ब्याज दरों पर माइक्रोक्रेडिट ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। विशेषकर ग्रामीण भारत में श्रमिकों की पहले से ही कम वास्तविक मज़दूरी कम हो रही है। मोदी सरकार 16.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा माफ कर दिया है. कॉर्पोरेट घरानों के ऋण, लेकिन व्यापक ऋण माफी और ऋण नीति के माध्यम से किसानों और कृषि श्रमिकों को ऋणग्रस्तता से मुक्त करने से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि बीजेपी विरोधी कई राज्य सरकारें भी कई बार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां अपना रही हैं जिनका विरोध भी जरुरी है. यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें लोगों की कामकाजी और जीवन स्थितियों में सुधार के लिए कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के विपरीत वैकल्पिक जन समर्थक नीतियों के लिए युद्ध छेड़ना चाहिए।

मोदी सरकार. एसकेएम के साथ 9 दिसंबर 2021 के लिखित समझौते का उल्लंघन किया है। यह लगातार कामकाजी लोगों को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत करने और वास्तविक आजीविका के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। महिलाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों पर अत्याचार चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में, 24 अगस्त 2023 को तालकटोरा स्टेडियम में पहले अखिल भारतीय कार्यकर्ता-किसान सम्मेलन में मांगों का एक चार्टर अपनाया गया था और निरंतर संघर्ष का आह्वान किया गया था।

नवंबर 2023 में महापड़ाव, 16 फरवरी 2024 को औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण बंद और उसके बाद भाजपा को बेनकाब करने और उसका विरोध करने के लिए चलाया गया अभियान प्रमुख कारक थे जिनके परिणामस्वरूप 18वें लोकसभा चुनाव में एनडीए को निर्णायक झटका लगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्ता में रहने के बावजूद एनडीए का वोट शेयर 44% से घटकर 39.9%

हो गया। भारत भर में जन संघर्षों को तेज करना लोगों का राजनीतिकरण करने का सही रास्ता है और इस प्रकार चुनावी संघर्षों में कॉर्पोरेट समर्थक राजनीतिक दलों को निर्णायक रूप से हराया जा सकता है।

गौरतलब है कि बीजेपी विरोधी कई राज्य सरकारें भी कई बार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां अपना रही हैं जिनका विरोध भी जरूरी है. यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें लोगों की कामकाजी और जीवन स्थितियों में सुधार के लिए कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के विपरीत वैकल्पिक जन समर्थक नीतियों के लिए युद्ध छेड़ना चाहिए। राज्य सरकारों को ऋण, खरीद, प्रसंस्करण और ब्रांडेड विपणन में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा समर्थित उत्पादक सहकारी समितियों, सामूहिक, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों के संघ को बढ़ावा देने के लिए सहकारी कृषि अधिनियम बनाना चाहिए।

राज्य सरकारों को ऋण, खरीद, प्रसंस्करण और ब्रांडेड विपणन में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा समर्थित उत्पादक सहकारी समितियों, सामूहिक, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों के संघ को बढ़ावा देने के लिए सहकारी कृषि अधिनियम बनाना चाहिए।

26 नवंबर को पूरे भारत के जिलों में किसानों, ग्रामीण गरीबों और औद्योगिक श्रमिकों की एक विशाल लामबंदी 3 ब्लैक के खिलाफ उस दिन श्रमिकों की देशव्यापी आम हड़ताल के साथ समन्वित किसानों के भव्य संघर्ष की शुरुआत की चौथी वर्षगांठ के महत्वपूर्ण अवसर को चिह्नित करती हैकृषि कानून और चार श्रम कोड।भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा कामकाजी लोगों पर आक्रामक युद्ध की पृष्ठभूमि में, विरोध कार्रवाई 12 प्रमुख मांगों और 24 अगस्त 2023 को अपनाए गए श्रमिकों और किसानों की मांगों के चार्टर पर आधारित हैइन मांगों को मनवाने के लिए निरंतर व्यापक एकजुट संघर्ष समय की मांग है। हम सभी वर्गों - श्रमिकों, किसानों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, हाशिए पर रहने वाले वर्गों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील व्यक्तियों से इस कार्रवाई में शामिल होने और जागरूकता पैदा करने की अपील करते हैं कि बड़े पैमाने पर लामबंदी और आंदोलन ही जीत हासिल करने का एकमात्र रास्ता है।

प्रमुख मांगें:-

1. सभी फसलों के लिए कानूनी गारंटी वाली खरीद के साथ mSP@ C2+50%
2. चार श्रम संहिताओं को निरस्त करें; किसी भी रूप में श्रम का कोई ठेकाकरण या आउटसोर्सिंग नहीं।
3. रुपये का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू करें। संगठित, असंगठित, योजना श्रमिकों और अनुबंध श्रमिकों और कृषि क्षेत्र सहित सभी श्रमिकों के लिए 26000/माह और पेंशन @ रु.10000 प्रति माह और सामाजिक सुरक्षा लाभ।
4. ऋणग्रस्तता और आत्महत्याओं को समाप्त करने के लिए किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक ऋण माफी; किसानों और श्रमिकों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधाएं सुनिश्चित करें।
5. रक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण नहीं। स्क्रैप राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)। कोई प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं, कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली, घरेलू उपयोगकर्ताओं और दुकानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली;
6. कोई डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम), राष्ट्रीय सहयोग नीति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ आईसीएआर समझौता नहीं है जो राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है और कृषि के निगमीकरण की सुविधा देता है।
7. अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण समाप्त करें, एलएआरआर अधिनियम 2013 और एफआरए लागू करें;
8. सभी के लिए रोजगार और नौकरी की सुरक्षा की गारंटी। 200 दिन का काम और रु. मनरेगा में प्रतिदिन 600 रुपये मजदूरी मिलती है। इसे शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित करें। मनरेगा से परिवारों का बहिष्कार तत्काल वापस लें। लंबित मजदूरी का भुगतान करें.
9. फसलों और मवेशियों के लिए व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र बीमा योजना, किराये-दार किसानों को फसल बीमा और सभी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करना;
10. गिरफ्तारी मूल्य वृद्धि. पीडीएस को मजबूत करें. सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करें। सभी के लिए 60 वर्ष की आयु पर 10000 रुपये मासिक पेंशन। संसाधनों के लिए अति-अमीरों पर कर लगाएं।
11. समाज में साम्प्रदायिक विभाजन को रोकने हेतु सख्त कानून एवं उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता को कायम रखें।
12. लैंगिक सशक्तिकरण और फास्ट ट्रैक न्यायिक प्रणाली के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना; दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों सहित सभी वंचित वर्गों के खिलाफ हिंसा, सामाजिक उत्पीड़न और जाति-सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करें।

द्वारा जारी -

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र/क्षेत्रीय महासंघों/संगठनों का संयुक्त मंच-

निगमीकरण समाप्त करें; लोगों की आजीविका की रक्षा करें;

मजदूर-किसान संयुक्त विरोध

प्रदर्शन - 26 नवंबर 2024

अपने जिला मुख्यालय पर सम्मिलित हों

द्वारा जारी -

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र/क्षेत्रीय महासंघों/संगठनों का संयुक्त मंच-